



2026:AHC: 171011

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4882/2025

वेगराज सिंह और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: देवाशीष मित्रा, सुनील कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अतुल कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

- कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 04.11.2025 के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस पहले ही तामील करा दिया गया है।
- नोटिस तामील होने के बावजूद, उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
- अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री देवाशीष मित्रा और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
- वर्तमान आपराधिक अपील अपीलार्थियों द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), बरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1452 वर्ष 2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हिम्मत सिंह), जो थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मुकदमा अपराध संख्या 0290 वर्ष 2024, धारा 504 और 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) से उत्पन्न हुआ है, में पारित तलब करने के आदेश दिनांक 21.03.2025 को अपास्त करने के लिए दाखिल की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. अभियुक्त अपीलार्थियों, वेगराज और दौलत को मुख्य अभियुक्त हिम्मत सिंह के साथ एफ.आई.आर. में नामित किया गया है। एफ.आई.आर. धारा 376(2)(n), 504 और 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5A), 3(2)(r) और 3(2)(s) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान धारा 161 और 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। हालांकि, विवेचना अधिकारी ने केवल मुख्य अभियुक्त हिम्मत सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और वर्तमान अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया। अपीलार्थियों को तत्पश्चात धारा 358 बी.एन.एस.एस. (धारा 319 द.प्र.सं.) के अंतर्गत तलब किया गया।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थियों, वेगराज और दौलत को मुख्य अभियुक्त हिम्मत सिंह के साथ एफ.आई.आर. में नामित किया गया था, लेकिन विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी ने उनके विरुद्ध कोई सामग्री न पाकर केवल हिम्मत सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और वर्तमान अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया। वेगराज मुख्य अभियुक्त के पिता हैं और दौलत बड़े भाई हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि धारा 161 और 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयानों में, पीड़िता ने विशेष रूप से कथित जातिवादी टिप्पणियों, गाली-गलौज या अभिवास के संबंध में अपीलार्थियों को कोई विशिष्ट या अलग भूमिका नहीं सौंपी। तत्पश्चात, अपीलार्थियों को केवल पी.डब्ल्यू.-1 के बयान के आधार पर धारा 358 बी.एन.एस.एस. (धारा 319 द.प्र.सं.) के अंतर्गत तलब किया गया, जिसमें पीड़िता ने कहा कि उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज की और "चमार" शब्द का इस्तेमाल किया। केवल उक्त शब्द का उपयोग, पीड़िता को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के अपेक्षित आशय या ज्ञान को दर्शाने वाले किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में, प्रथम दृष्टया एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करता है। अपीलार्थियों को अन्यथा कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, जबकि कथित बलात्कार और विवाह के वादे से संबंधित मुख्य आरोप हिम्मत सिंह के विरुद्ध हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित तलब करने का आदेश कायम रखने योग्य नहीं है और रद्द किए जाने योग्य है।

7. विद्वान ए.जी.ए., अपील का विरोध करते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थियों को एफ.आई.आर. में नामित किया गया था और पीड़िता ने लगातार घटना में उनकी संलिप्तता का खुलासा किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में, पीड़िता ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलार्थियों ने जाति-संबंधित शब्द "चमार" का उपयोग करके उसके साथ गाली-गलौज की और उसे धमकाया भी। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही पर विचार करने के पश्चात, अपीलार्थियों को धारा 358 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत तलब करने के लिए पर्याप्त आधार पाए। इस प्रक्रम पर, पीड़िता के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि विवेचना अधिकारी ने पहले अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया था। यह प्रश्न कि क्या कथित कथन अपेक्षित आशय के साथ किए गए थे और क्या अंततः भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के तत्व स्थापित होते हैं, विचारण के दौरान न्यायनिर्णयन के विषय हैं। अतः, आक्षेपित तलब करने के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. यह स्वीकार्य है कि विवेचना अधिकारी ने केवल मुख्य अभियुक्त, हिम्मत सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, और वर्तमान अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया। यह निर्विवाद है कि वेगराज मुख्य अभियुक्त, हिम्मत सिंह के पिता हैं और दौलत सगे भाई हैं। धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयान में, पीड़िता ने आरोप लगाया कि अपीलार्थियों ने उसके विरुद्ध जातिवादी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनमें से किसी के लिए कोई विशिष्ट या अलग जातिवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। तत्पश्चात, विचारण के दौरान, अपीलार्थियों को पी.डब्ल्यू.-1 के बयान के आधार पर तलब किया गया, जिसमें पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि अपीलार्थियों ने उसके साथ गाली-गलौज की और "चमार" शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि, केवल "चमार" शब्द का इस्तेमाल अपने आप में यह स्थापित नहीं करेगा कि अपीलार्थियों ने उक्त शब्द का इस्तेमाल पीड़िता के एससी/एसटी समुदाय से संबंधित होने के आधार पर उसका अपमान या तिरस्कार करने के आशय या ज्ञान के साथ किया था। इसके अतिरिक्त, जहां तक गाली-गलौज और आपराधिक अभिवांस के आरोपों का संबंध है, वेगराज या दौलत में से किसी को भी कोई विशिष्ट या अलग भूमिका नहीं सौंपी गई है। बलात्कार और अन्य अपराधों से संबंधित मुख्य आरोप मुख्य अभियुक्त, हिम्मत सिंह के विरुद्ध निर्देशित हैं। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री वर्तमान अपीलार्थियों के लिए कोई विशिष्ट, अलग या पर्याप्त भूमिका प्रकट नहीं करती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य (2008) 8 एस.सी.सी. 435** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर कोई स्थान" के भावों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। यदि घटना जनता के सदस्यों को दिखाई देती है तो एक निजी स्थान भी सार्वजनिक दृष्टि के भीतर का स्थान हो सकता है। इसके विपरीत, केवल इसलिए कि कोई घटना किसी सार्वजनिक भवन में होती है, वह स्वतः ही आवश्यकता को पूरा नहीं करती यदि वह सार्वजनिक दृष्टि के भीतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "चमार" जैसे शब्द, यद्यपि मूल रूप से एक जाति को दर्शाते हैं, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जातिवादी गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे एक अपराध की कोटि में आ सकते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों को उनके लोकप्रिय और सामाजिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि केवल उनके व्युत्पत्तिशास्त्रीय अर्थ में। धारा 3(1)(एक्स) (अब धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस)) को आकर्षित करने के लिए, जानबूझकर अपमान या अभिवासा होना चाहिए; और पीड़ित को अपमानित करने का आशय होना चाहिए क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित अपेक्षित आशय के बिना, केवल गाली-गलौज या झगड़ा अपर्याप्त है। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही केवल वहीं जारी रहनी चाहिए जहां आरोप किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते हों। कार्यवाहियां वहां रद्द की जा सकती हैं जहां एफ.आई.आर. किसी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है।

9. **गोरिंगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2009 क्रि.एल.जे.350** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जब शिकायत में अपराध के मूल तत्व गायब हों, तो ऐसी शिकायत को जारी रहने की अनुमति देना और अपीलार्थी को आपराधिक विचारण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का सामना करने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित होगा जिससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) 10 एस.सी.सी. 710** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की उपस्थिति के बिना भूमि के कब्जे को लेकर परिवादी के निजी घर के अंदर उत्पन्न विवाद, धारा 3(1)(आर) की वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करता है।'

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. **शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य और एक अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2249** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हितेश वर्मा (उपरोक्त)** के वादों को उद्धृत करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर किए गए अपमान और अभिवास के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या अभिवास अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभिवास पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत अपराध तब बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग के किसी सदस्य को अपमान, प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व का दावा न तो अपमान, प्रताड़ना और न ही उत्पीड़न के कारण है। प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठाने का अधिकार है। इसलिए, यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, या कि प्रत्यर्थी 2 ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, तो पक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कार्रवाई इस कारण से नहीं है कि प्रत्यर्थी 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है।"

खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एस.सी.सी. 763 में:

"15. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करे। अपराध व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर किया गया होना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिद्धांत यह है कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि ऐसे सदस्य को इस कारण से अपमानित करने का आशय न हो कि वह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ऐसे समुदाय से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, 1989 के अधिनियम का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जानबूझकर किया गया अपमान या अभिवास का प्रत्येक कृत्य 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) को केवल इसलिए आकर्षित करेगा क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसके विपरीत, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) वहां आकर्षित होती है जहां जानबूझकर किए गए अपमान या अभिवास का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को इसका शिकार बनाया जाता है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि 1989 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य उन अपराधों की सजा के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करना था जो एससी/एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति की स्थिति के कारण लक्षित किए जाते हैं।"

12. धारा 319 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए, अभियुक्त के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय सामग्री की आवश्यकता होती है, हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 3 एस.सी.सी. 92 के प्रकाश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"105. धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां वाद की परिस्थितियां ऐसा आवश्यकता उत्पन्न करती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की यह राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी वह अपराध करने का दोषी हो सकता है। केवल जहां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य मिलता है, वहीं ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और आकस्मिक और लापरवाही वाले तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

106. इस प्रकार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जिसे जिरह की कसौटी पर परखना आवश्यक नहीं है, इसके लिए उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह आरोप

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विरचित करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन उस सीमा तक संतुष्टि से कम है कि साक्ष्य, यदि असिद्ध रहता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 द.प्र.सं. में यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई अपराध किया है" का प्रावधान करने का उद्देश्य "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सके" शब्दों से स्पष्ट है। प्रयुक्त शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सके" नहीं हैं। इसलिए, धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्य करने वाले न्यायालय के लिए अभियुक्त के दोष के संबंध में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

117.5. यद्यपि धारा 319(4)(बी) द.प्र.सं. के अंतर्गत तत्पश्चात् पक्षकार बनाए गए अभियुक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना है मानो वह अभियुक्त था जब न्यायालय ने शुरू में अपराध का संज्ञान लिया था, धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तलब करने के लिए आवश्यक संतुष्टि का स्तर वही होगा जो आरोप विरचित करने के लिए होता है। मूल अभियुक्त और बाद के अभियुक्त को तलब करने के लिए संतुष्टि के स्तर में अंतर इस तथ्य के कारण है कि मूल अभियुक्त के विरुद्ध विचारण पहले ही शुरू हो चुका हो सकता है और ऐसे विचारण के दौरान ही नए तलब किए गए अभियुक्त के विरुद्ध सामग्री का खुलासा होता है। किसी अभियुक्त को नए सिरे से तलब करने से विचारण में विलंब होगा, इसलिए अभियुक्त (मूल और बाद के) को तलब करने के लिए संतुष्टि का स्तर अलग होना चाहिए।"

13. प्रतिद्वंद्वी अभिवेदनों, अभिलेख पर लाई गई सामग्री, और पूर्वोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर विचार करने के पश्चात्, यह न्यायालय पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट आरोप और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करते हैं। जहां तक गाली-गलौज और आपराधिक अभिप्रास के आरोपों का संबंध है, वेगराज या दौलत में से किसी को भी कोई विशिष्ट या अलग भूमिका नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सौंपी गई है। बलात्कार और अन्य अपराधों से संबंधित मुख्य आरोप मुख्य अभियुक्त, हिम्मत सिंह के विरुद्ध निर्देशित हैं।

14. इसके अतिरिक्त, **हरदीप सिंह (उपरोक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित स्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि द.प्र.सं. की धारा 319 के अंतर्गत असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना है और केवल वहीं जहां अभिलेख पर मजबूत और ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो, जो आरोप विरचित करने के स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया मामले से काफी अधिक हो, आक्षेपित तलब करने का आदेश अपेक्षित विधिक सीमा को पूरा करने में विफल रहता है। अपीलार्थी की मिलीभगत की ओर अचूक रूप से इशारा करने वाली किसी भी विश्वसनीय, उत्कृष्ट सामग्री या साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आकस्मिक और लापरवाही वाले तरीके से धारा 319 द.प्र.सं. के अंतर्गत तलब करके विधि में त्रुटि की है।

15. परिणामस्वरूप, विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), बरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1452 वर्ष 2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हिम्मत सिंह), जो थाना इज्जतनगर, जिला बरेली के मुकदमा अपराध संख्या 0290 वर्ष 2024, धारा 504 और 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) से उत्पन्न हुआ है, मैं पारित तलब करने का आदेश दिनांक 21.03.2025 एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

16. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है।

17. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के माध्यम से 48 घंटे के भीतर ई-मेल/फैक्स द्वारा संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

13 अगस्त, 2026

अंकित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”